



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1936 (श0)  
(सं0 पटना 681) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2014

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना  
शुद्धि पत्र  
12 अगस्त 2014

सं0 7/स्था0(स0अ0नि0)02-01/2013-3442—निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या— 889 दिनांक 21.02.14 के साथ संलग्न अंग्रेजी अनुवाद में निम्नलिखित त्रुटि सुधार किया जाता है:—

1. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 1 (2) में "165c.m." के स्थान पर "155c.m." पढ़ा जाय।
2. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 2 (2) में "Extended -84 c.m. (minimum)" के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जाय:—  
"(There must be difference of at least 5 c.m. in the chest when being extended)"
3. Schedule 'A' :- See Rule 7 (3)(iii) की कंडिका 2 (4) में "Unextended- 79 c.m. (minimum)" के बाद निम्नलिखित पंक्ति पढ़ा जाय :—

"Extended- 84 c.m. (minimum)"

अधिसूचना सं0 889 दिनांक 21.02.2014 के अंग्रेजी अनुवाद को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0)/अस्पष्ट,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 681-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>